# कार्यवृत्त

## बुधवार, 12 फाल्गुन, शक संवत्, 1942
## ( दिनांक : 03 मार्च, 2021 )

खण्ड–59
अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैंण (गैरसैंण) में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही श्री प्रीतम सिंह, मा0 सदस्य एवं श्री हरीश सिंह, मा0 सदस्य द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में आने वाली आपदाओं के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने मा0 सदस्यों से अपना–अपना स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया, परन्तु मा0 सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिये नियम–310 की सूचनाओं को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

(12:07 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री मुन्ना सिंह चौहान, | जनपद देहरादून में स्थित ब्यासी जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए तहसील–कालसी के अन्तर्गत ग्राम–लोहारी के ग्रामीणों की कृषि भूमि बांध निर्माण में उपयोग होने के उपरान्त ग्रामीणों को अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।) |
| 2. | श्री राजकुमार ठुकराल, | उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों के हित में पुनः नजूल नीति बनाने व उन्हें दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।) |
| 3. | श्री राम सिंह कैड़ा, | उत्तराखण्ड राज्य सहित भीमताल विधान सभा के अन्तर्गत श्रेणी 4 भूमि पर रह रहे ग्रामीणों को भूमि का मालिकाना हक न मिलने पर व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।) |
| 4. | डा0 प्रेम सिंह राणा, | आरक्षित वन सीमा से जुड़े स्थानीय ग्रामीणों को हक–हकूक न मिलने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।) |

5. श्री पूरन सिंह फर्त्याल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के तहत कार्यरत कार्मिकों का नियमितीकरण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

6. श्री चन्दन राम दास, जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र दफौट में ऐलोपैथिक चिकित्सालय न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

7. श्री शक्ति लाल शाह, विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बालगंगा महाविद्यालय सेन्दुल केमर के राजकीयकरण के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

मौ0 काजी निजामुद्दीन, मा0 सदस्य द्वारा नियम–299 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विधान सभा सत्र की कार्यवाही के टेलिविजन एवं सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण एवं मा0 सदस्यों के भाषण की विडियो क्लिप उपलब्ध कराये जाने की मांग की गयी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि परिधि में न आने के कारण वे इसे अस्वीकार करते है।

सभापति, आश्वासन समिति द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा की आश्वासन समिति का तैतीसवॉं एवं चौतीसवॉं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम खानपुर में प्रा0वि0 का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री भूषण पुत्र श्री सुग्गन, ग्राम किशनपुर पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मोलना में रविदास मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री अशोक कुमार पुत्र श्री कन्तुराम, ग्राम मोलना पो0 इकबालपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मानक माजरा में आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अशोक पुत्र श्री गोपाल, ग्राम मानक माजरा, पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के मन्या से पितरौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बच्चीराम भट्ट, ग्राम व पो0 पितरौड़ा जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के कोटतुलारी से दरणा मोटर मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री मंगल राणा, ग्राम व पो0 कोटतुलारी जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के बन्तोली से रणकुड़ी मोटर मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री माधवनाथ पुत्र स्व0 श्री उदयनाथ प्रसाद, ग्राम रणकुड़ी पो0 बन्तोली जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पुरःस्थापित किया।

मा0 पंचायती राज मंत्री ने ''उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मा0 पंचायती राज मंत्री ने ''उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पुरःस्थापित किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से सभी सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

प्रदेश में आने वाली आपदाओं के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह,

(12:40 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए)

मा0 सदस्य श्री करन माहरा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री राजकुमार, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में उपनल कर्मियों के आन्दोलन के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

राज्य कर्मचारियों हेतु चलाई जा रही गोल्डन कार्ड योजना के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य श्री करन माहरा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

**13 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 15:00 बजे तक के लिये स्थगित की।**

**सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 15:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।**

जसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जसपुर शहर में स्थायी बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

वन्य जीवों के हमले में मारे गये व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत तहसील पुरोला को जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पुनः आरम्भ हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :–

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
श्रीमती मीना गंगोला,
श्री चन्दन राम दास,
श्री संजय गुप्ता,
श्री विनोद चमोली,
श्री खजान दास,
श्री हरीश सिंह, **(16:23 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)**
श्री आदेश सिंह चौहान एवं निम्न मा0 सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये
श्री आदेश चौहान, **(16:45 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।)**
श्रीमती ममता राकेश,
श्री राजकुमार,
मौ0 काजी निजामुद्दीन,

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

**17 बजकर 05 मिनट श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)**

मा0 सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत हुआ।
विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

**17 बजकर 34 मिनट श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

मा0 सदस्य श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2021 को प्रस्तुत राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव संशोधन सहित स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल, ''चमार साहब'' की सूचना जो कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेडा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री केदार सिंह रावत की सूचना जो कि प्रदेश के आमजन में लोहतत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले अनिमिया (Anemea) रोग के उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण

करने की योजना क्रियान्वित करने के संबंध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) कक्षाओं को संचालन नव निर्मित भवन में कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में श्री बलबन्त सिंह भौर्याल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2021 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में गौरा देवी कन्या धन योजना के पात्र छात्राओं को लाभ नहीं मिलने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री पूरन सिंह फर्त्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2021 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

**सदन की कार्यवाही 18 बजकर 04 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।